

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बुलन्दशहर।

दिनांक-अप्रैल-27, 2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में अधिवक्तागण एवं वादकारगण का प्रवेश कोविड-19 की बामारी के कारण न्यायालय कक्ष में निषेध है तथा बुलन्दशहर स्थित दोनों सम्मानित बार संघ द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से यह याचना की गयी है कि अग्रिम तिथियों में सामान्य तिथि नियत कर दी जाये। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं तीनों अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर में निम्न अनुसार सामान्य तिथियां नियत की जाती हैं-

<u>दिनांक</u>	<u>आपराधिक</u>	<u>दीवानी</u>
27.04.2021	14.06.2021	12.07.2021
28.04.2021	15.06.2021	13.07.2021
29.04.2021	16.06.2021	14.07.2021
30.04.2021	17.06.2021	15.07.2021
01.05.2021	18.06.2021	16.07.2021

तदनुसार सम्बन्धित न्यायालय एवं दोनों बार संघ, बुलन्दशहर तथा न्यायाधीश, बुलन्दशहर एवं सिस्टम ऑफिसर, बुलन्दशहर सूचित हों।

दिनांक-27.04.2021

Sd/-
(हरकेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।